न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बामणिया तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री नन्द किशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- [illegible]/2014 राजस्व वाद

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 92क आर0टी0ए0 बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

उनवान

श्रीमती भंवरकंवर पत्नी श्री रघुवीरसिंह राजपूत नि. लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
————(वादी)

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाडा
———(प्रतिवादी)

राजस्व लोक अदालत 2015 मे वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 22.05.2015 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर पक्षकारान की सहमति से आदेश दिया जाता हैं कि और डिक्री दी जाती हैं कि – और इस वाद के खर्चे लेखो का प्रतिशत रूपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक दर का प्रतिशत – प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे :–

वादी का वादपत्र आपसी सहमति से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खारीखेड़ा स्थित सर्किल बामणिया की खातेदारी आराजी संख्या 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123 कुल किता–7 रकबा 17.12 बीघा में दर्ज खातेदार भंवरकवंर पत्नी मानसिंह राजपूत सा. देह के स्थान श्रीमती भंवरकंवर पत्नी श्री रघुवीरसिंह उर्फ मानसिहं राजपूत सा. देह इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जाती हैं।

आज दिनांक 22.05.2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा